रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2005/चैत्र 30, 1927
No. 165] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2005/CHAITRA 30, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 241(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33ढ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 33ढ की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में,—

(I) नियम 157 के अधीन, अनुसूची न में, भाग 1 के पैरा 1.1 (ढ) के खण्ड (II) के उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) (क) विशेषज्ञ, जिसके पास भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची II के अधीन मान्यताप्राप्त आयुर्वेद या सिद्ध या यूनानी औषधि में अर्हता डिग्री हो;

(ख) रसायनज्ञ, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई कम से कम विज्ञान या भैषजिकी या भैषजिकी (आयुर्वेद) में स्नातक डिग्री हो;

(ग) वनस्पतिज्ञ भेषज अभिज्ञानी, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई विज्ञान (आयुर्विज्ञान) या भैषजिकी या भैषजिकी (आयुर्वेद) में कम से कम स्नातक डिग्री हो;"

(क) भाग II के टिप्पण के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— "तो वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसा कर सकेगा"।

[फा. सं. के. 11020/5/97-डीसीसी (आयुष)]

तारादत्त, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 79(अ) तारीख 14 फरवरी, 2005 को किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy (Ayush)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2005

G.S.R. 241(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 which the Central Government after consultation with the Ayurveda, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (2) of Section 33-N of the Drugs and Cosmetics Act 1940 (23 of 1940), is hereby published as required by the Sub-section (i) of Section 33 -N of the Drugs and Cosmetics Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health and Family Welfare, Indian Red Cross Society Building, New Delhi-110001;

Any objection and suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drug and Cosmetics Rule, 1945,—

(1) Under Rule 157, in the Schedule T, in part I, in paragraph 1.1 (N), for sub-clause (i) of clause (II) the following shall be substituted, namely ;—

"(i) (a) Expert in Ayurveda or Siddha or Unani medicine who possess a degree qualification recognized under Schedule II of Indian Medicine Central Council Act, 1970;

(b) Chemist, who shall possess at least Bachelor Degree in Science or Pharmacy or Pharmacy (Ayurveda) awarded by a recognized University; and

(c) Botanist (Pharmacognosist), who shall possess at least Bachelor Degree in Science (Medical) or Pharmacy or Pharmacy (Ayurveda) awarded by a recognized University;"

(2) In Part II in the Note, at the end the following shall be added, namely :— "he may do so after recording reasons in writing."

[F. No. K.-11020/5/97-DCC (AYUSH)]

TARA DATT, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Official Gazette *vide* Notification No. F. 28-10/45-H (I) dated the 21st December, 1945 and last amended *vide* GSR No. 79(E) dated 14-2-2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.